कार्यालय प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

संख्या /बीआरजी/एमसी–25/ईसी–1 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2025

कार्यालय आदेश

इस चिकित्सा महाविधालय के विभिन्न विभागों मे रिक्त सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत सेवायोजन नोटिस संख्या–79/बीआरजी/एमसी–25/ईसी–1 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति की संस्तुति के आधार पर **निम्नलिखित अभ्यर्थियों को** कालम में अंकित उनके नाम के सम्मुख विभाग में सीनियर रेजिडेन्ट के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा **वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 6600/– एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 (रू0 67700–208700/–)** में महँगाई एवं अन्य भत्ते जो भी नियमानुसार अनुमन्य हो, निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति अस्थाई रूप से की जाती है। चिकित्सकों का विवरण निम्नवत है।

क्र0स0	चिकित्सक का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
01	डा0 अंकित त्रिपाठी	सीनियर रेजिडेन्ट	आर्थोपेडिक्स (ट्रामा)
02	डा0 दिवाकर विक्रम सिंह	सीनियर रेजिडेन्ट	आर्थोपेडिक्स
03	डा0 प्रतिभा मल्ल	सीनियर रेजिडेन्ट	एनेस्थीसिया
04	डा0 हबीबा आतिफ	सीनियर रेजिडेन्ट	एनेस्थीसिया
05	डा0 अदिति बंका	सीनियर रेजिडेन्ट	एनेस्थीसिया
06	डा0 किरन यादव	सीनियर रेजिडेन्ट	आप्थलमोलॉजी

1. यह नियुक्ति शासन/महानिदेशालय द्वारा अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड से नये अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक के लिए की जा रही है सम्बन्धित विशिष्टता में नये अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा सम्बन्धित विशिष्टता में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह नियुक्ति छः माह अवधि तक के लिए की जा रही है, जो कि विभागाध्यक्ष की संस्तुति एवं अभ्यर्थी के कार्य तथा आचरण के आधार पर आगे बढायी जा सकती है। नियुक्ति अस्थाई एवं सीमित अवधि (टेन्योर) के लिए है, तथा किसी भी तरफ से एक माह की नोटिस अथवा एक माह के वेतन पर सेवा समाप्त की जा सकती है/छोड़ी जा सकती है।
2. किसी प्रकार की प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
3. हड़ताल अथवा धरना आदि में भाग लेने पर सेवाये समाप्त हो जायेगी, इस आशय का शपथ–पत्र रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
4. पदधारक को अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने के साथ–साथ समय–समय पर विभागाध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित अध्यापन, शोध एवं अन्य शैक्षणिक, चिकित्सकीय कार्य में नियुक्ति के विभाग अथवा किसी दूसरे विभाग में योगदान देना होगा।
5. किसी भी प्रकार की रैगिंग/अवांछनीय कृत्य में संलिप्त पाये जाने पर सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. कार्यभार ग्रहण के पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।
   - क. राज्य अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यरत किसी दों राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
   - ख. सत्यापित समस्त प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतिलिपि तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो एवं पैन कार्ड की छायाप्रति दो प्रतियों मे संलग्न करना अनिवार्य है।
   - ग. राजकीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त स्थायी पंजीयन प्रमाण–पत्र।
   - घ. अनादेय पत्र प्राप्त करने तक के लिये अन्तिम एक माह (30 दिन) का वेतन रोक दिया जायेगा।
   - ड़. तैनाती की अवधि में सेवा समाप्त के लिये दोनों ओर से एक माह का नोटिस अथवा वेतन देकर सेवायें समाप्त की जा सकती है।
   - च. सम्बधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित विभाग में दिनांक 27.10.2025 तक अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। इस तिथि के पश्चात नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(राम कुमार)
प्रधानाचार्य

संख्या 629 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, नेहरू चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. विभागाध्यक्ष/नोडलअधिकारी, आर्थोपेडिक्स/एनेस्थीसिया/आप्थलमोलॉजी विभाग, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. उपरोक्त चिकित्सक को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपना कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्ति पत्र की शर्तो को पूरा करें तथा अपना स्थायी पता भी सूचित करें। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस नियुक्ति आदेश के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(राम कुमार)
प्रधानाचार्य